संख्या– /xxiv–4/2016–09(26)/2015

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

विषयः–पब्लिक इण्टर कालेज तिलखोली, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–06(03)/76/22027/2016–17 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पब्लिक इण्टर कालेज तिलखोली, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए 04 प्रवक्ता पदों का सृजन करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रवक्ता	रू0 9300–34600 ग्रेड पे–4800	04 पद (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित विषय हेतु)।

3. उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम–2009, (समय–समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4. उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तो की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

....2

6. उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रकिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–110–गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–03–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश रिट याचिका संख्या–99(P.I.L)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 182 (P)/XXVII (3) 2016–17 दिनांक 08. दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव।

संख्या–1790 (1) /xxiv–4/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादन।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद ~~चमोली~~ पौड़ी।
8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद ~~चमोली~~। पौड़ी
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक।
10. वित्त अनुभाग–3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।